No. 17/18/2012-Pers/BSF/ 15320-670
Government of India
Ministry of Home Affairs
Directorate General, Border Security Force
(Personnel Directorate)

Block No-10, 5th Floor
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110 003

Dated, the 16 Dec, 2013.

To

All Frontier HQrs BSF
All Sector HQrs/DIsG ISD
All BNs BSF (THQ/Bn HQ)
All Training Institutions BSF/STCs
CENWOSTO/TSU Tekanpur
SIW/SRO/ATS Tekanpur
Water Wing Bhuj (Guj)/ Madhopur(Pb)
South Bengal (Kolkata) & Dhubri (Assam)

Sub:- **FORWARDING OF BSF ENGINEERING SET UP(CIVIL) COMBATANT (GROUP 'C' POSTS) RECRUITMENT RULES- 2013**

A copy of the Border Security Force, Engineering Set up(Civil) Combatant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013 published in the Official Gazette vide GSR-739(E) dated 08.11.2013 is forwarded herewith for your kind information and necessary action, please.

Encl: As above

(Kuldeep Saini)
Dy Inspector General(Confdl)
16 Dec, 2013

Distribution :-

1. HQrs Spl DG(Eastern & Western) Command
2. All IsG at FHQ BSF
3. PS to DG BSF/
4. PS to Addl DsG BSF
5. FA BSF HQ
6. Prov Dte/ Engg Cell
7. PAD BSF
8. Law Branch and D&L Branch, FHQ BSF
9. Staff Section/Recruitment Section/Estt Section
10. NGO's Promotion Desk – Pers Section
11. IT Wing FHQ BSF – for placing on the Web Site of the Force.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2013/कार्तिक 28, 1935

No. 566] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2013/KARTIKA 28, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2013

सा.का.नि. 739(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरी संगठन (समूह 'ग' योधक, तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में इंजीनियरी संगठन(सिविल) के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरी संगठन (सिविल) योधक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान**:–उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**:– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** :–

   (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

   (2) शेप–1 का तात्पर्य निम्नलिखित चिकित्सा प्रवर्ग से है:–

   (i) कोड अक्षर एस.एच.ए.पी.ई, जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित किए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्साधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात् :–

   S –मनोवैज्ञानिक (Psychological)

   H –श्रवण क्षमता (Hearing)

A –एपेंडेजेज (Appendages)

P –शारीरिक क्षमता (Physical Capacity)

E –दृष्टि क्षमता (Eye-Sight)

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता को प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 के उपदर्शित कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी–। है तो वहां इसका प्रवर्ग एस–1, एच–1, ए–1, पी–1, ई–1 लिखने के बजाय शेप–। लिखकर दर्शाया जा सकेगा।

इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

(क) कहीं भी सभी प्रकार की ड्यूटी के लिए योग्य।

(ख) सभी प्रकार की ड्यूटी के लिए योग्य किन्तु क्या कर्त्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं पर निर्भर करते हुए कर्त्तव्यों के प्रकार और नियोजन की योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(ग) ''एस'' कारक को छोड़कर दैनन्दिन अथवा बैठकर की जाने वाली ड्यूटी के लिए स्वस्थ लेकिन अधिक ऊंचाई (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे या पहाड़ी क्षेत्रों में और लंबे कार्य के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण अवकाश के कारण कर्त्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ङ) कर्त्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

5. **निरर्हताएं** :– वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्तिः**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. **सेवा की अन्य शर्तें** :– (1) इस काडर में नियुक्त किए गए व्यक्ति, सेवा की ऐसी अन्य शर्तों की बाबत जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित नहीं हैं, समय–समय पर यथा संशोधित सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के अध्यधीन होंगें।

(2) अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होते ही, उस योधक पद के लिए, जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया है, समय–समय पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा विहित वर्दी पहननी होगी और बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

9. **अन्य देशीय की अपात्रताः**– इन नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को सिवाय ऐसे मामले में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सहमति दी गई हो, नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि इन नियमों की कोई बात नेपाल या भूटान के नागरिक की नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को विवर्जित नहीं करेगी।

10. **अधिवर्षिता** :– ऐसा व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है, उस मास की अंतिम तारीख के अपरान्ह में, जिसको वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए अनुसार अपनी सेवा से सेवा निवृत्त होगाः

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, उस मास से पूर्व मास की अन्तिम तारीख को सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।